**शुद्धिपत्र**

**संख्या-591/2026/आई/1370888/23-1-26-23-1002(002)/157/2026**

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: 19 जून, 2026

**विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 (निवर्तन मद) के अन्तर्गत सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के अन्तर्गत विभिन्न मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 746 कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3054 (निवर्तन मद) के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-171/2026/आई/1268310/23-1-26/23-1002(002)/157/2026, दिनांक 17.03.2026 द्वारा अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 746 कार्यों के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण हेतु कुल लागत रू0 17,84,08,15,000/- (रूपये सत्रह अरब चौरासी करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 (निवर्तन मद के अन्तर्गत) कुल रू0 1,78,40,71,000/- (रूपये एक अरब अठहत्तर करोड़ चालीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या-170सी/27सी-सामान्य मरम्मत/नवीनीकरण/26-27, दिनांक 11.06.2026 द्वारा उक्त शासनादेश में अंकित तालिका के क्रमांक-437 पर अंकित जनपद रायबरेली के 01 कार्य (मुस्तफाबाद-सलोन-जायस सम्पर्क मार्ग के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य) हेतु शासनादेश में अंकित प्रस्तावित कि0मी0 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं लीनियर लम्बाई 19.00 कि0मी0 के स्थान पर कि0मी0 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 एवं लीनियर लम्बाई 11.00 कि0मी0 संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- अत: उक्त स्वीकृत शासनादेश संख्या-171/2026/आई/1268310/23-1-26/23-1002(002)/157/2026, दिनांक 17.03.2026 में अंकित तालिका के क्रमांक-437 पर अंकित कार्य हेतु शासनादेश के स्तम्भ-7 एवं 8 में अंकित विवरण कि0मी0-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17, 18, 19, 20, 211, 22 एवं लीनियर लम्बाई 19.00 कि0मी0 **के स्थान** पर कि0मी0 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 एवं लीनियर लम्बाई 11.00 कि0मी0 पढ़ा जाय। उक्त कार्य हेतु शेष समतुल्य लम्बाई व लागत एवं अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 17.03.2026 के शेष कार्यों के विवरण एवं शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे। उक्त शासनादेश दिनांक 17.03.2026 के क्रमांक-437 पर अंकित कार्य का विवरण इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

( अभिषेक गंगवार )
अनु सचिव।

**संख्या-591/2026/आई/1370888(1)/23-1-26/23-1002(002)/157/2026-, तद्दिनांक**
**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/लोक निर्माण अनुभाग-6/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अभिषेक गंगवार )
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in